FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत–––जिला कलक्टर मुकाम : दौसा

नन्दलाल **बनाम गंगाराम** वगै0

किस्म मुकदमा–प्रा0पत्र 14(4) आवंटन नियम 1970 नम्बर–08 सन्– 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.05.2025	अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी व राजकीय अधिवक्ता को सुना गया। राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि किया कि पूर्व में माननीय न्यायालय जिला कलक्टर दौसा में विचाराधीन प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम 1970 उनवानी सरकार बनाम गंगाराम वगै0 प्रकरण संख्या 51/2008 विचाराधीन था, जिसमें माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 9.10.2024 द्वारा गुणावगुण के आधार पर सुनवाई कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी गंगाराम पुत्र रामपाल जाति मीना निवासी ग्राम नांगल राजावतान तहसील नांगल राजावतान को दिनांक 16.5.2000 को ग्राम नांगल राजावतान स्थित आराजी खसरा नंबर 726 का आवंटन आदेश निरस्त किया गया है। प्रार्थी द्वारा उसी आवंटन आदेश एवं उसी खसरा नंबर की भूमि के आवंटन आदेश दिनांक 16.5.2000 को इस प्रार्थना पत्र 4(4) आवंटन नियम 1970 को पुनः चुनौती दी गई है। न्याय का यह सिद्धान्त है कि एक बार न्यायालय से जिस आवंटन आदेश का गुणावगुण के आधार पर निर्णय को पारित कर दिया गया है, उसे पुनः उसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। प्रकरण में रेस ज्युडिकेटा लागू होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14 (4) आवंटन नियम 1970 खारिज फरमाया जावे। अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त विचाराधीन प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपस्थित अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.10.2024 का अवलोकन किया गया। प्रकरण संख्या 51/2008 उनवानी सरकार बनाम गंगाराम का दिनांक 9.10.2024 को पारित निर्णय जो कि मैरिट के आधार पर निस्तारण किया गया है, के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम 1970 को स्वीकार किया जाकर आवंटी गंगाधर पुत्र रामपाल मीना को ग्राम नांगल राजावतान के खसरा नंबर 726 का किया गया आवंटन खारिज किया जा चुका है। एक बार न्यायालय द्वारा किसी प्रकरण में निर्णय पारित किया जा चुका है, उसे कानूनन पुनः उसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। राजकीय अधिवक्ता के इस कथन से हम सहमत हैं कि विचाराधीन प्रार्थना में रेस ज्यूडिकेटा लागू होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम 1970 निस्तारित किया जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट दाखिल भंडार हो। खुले न्यायालय में सुनाया गया। जिला कलक्टर दौसा	O/C जिला अभिलेखागार कलेक्ट्रेट दौसा के पत्रांक 1201 दिनांक 08/05/2025 द्वारा [illegible] प्रार्थना पत्र मूल ही एवं प्रति दिनांक 02/05/25 [illegible] प्रेषित

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:33:58 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official